International Journal of Applied Research 2019; 5(1): 255-257

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(1): 255-257
www.allresearchjournal.com
Received: 26-11-2018
Accepted: 28-12-2018

डॉ0 संजू यादव
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम0 एल0 एस0 कॉलेज, सरिसब–पाही, मधुबनी, बिहार, भारत

Correspondence
डॉ0 संजू यादव
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम0 एल0 एस0 कॉलेज, सरिसब–पाही, मधुबनी, बिहार, भारत

भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता : एक विष्लेशणात्मक अध्ययन

डॉ0 संजू यादव

सारांश
भारत में जन्में और यहीं पले–बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक असमानता जीवन की वास्तविकता है। हम गलियों में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे–छोटे बच्चों को घरेलू नौकर भवन निर्माण कार्य करते हुए, सड़कों के किनारे बने छोटे बच्चों को जो कि नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, अपने बड़े बच्चों का स्कूल बस्ता ढोते हैं और कुछ इसका सामना करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अल्पसंख्यक समूहों तथा अन्यथा सक्षम लोगों के बारें पूर्वाग्रह की खबरें भी हम रोजाना पढ़ते हैं। सामाजिक असमानता का यह रोजमर्रापन इनका इस प्रकार रोजाना घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता हैं हमें लगने लगता है कि यह एकदम सामान्य बात है। ये कुदरती चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम असमानता को कभी–कभी अपरिहार्य नहीं भी मानते हैं तो अक्सर उचित या न्यायसंगत भी मानते हैं। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। एंसा मानकर हम उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोशी ठहराते हैं। यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहां नहीं होते जहों वे आज हैं।

कुट शब्दः सामाजिक असमानता, कारण, नीतिगत समाधान, सैद्धांतिक हल

प्रस्तावन
समानता से आशय है समान अवसर,समान अधिकार, और समान महत्व। समानता व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार की हो सकती है। और इन तत्त्वों में जब भिन्नता हो तो वह असमानता बन जाती है। जैसे जातीय असमानता, लैंगिक असमानता, अमीर–गरीब, मजदूर –अफसर इत्यादि। गौरतलब है कि हमारे देश में, हमारे समाज में विभिन्न तरह की असमानताएं आज भी कायम है।हालांकि संविधान में सबको समानता का अवसर दिया गया है। यथा अनु. 14 में विधि के समक्ष समानता, अनु.15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव वर्जित है। अनु.16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। एक लोकतांत्रिक देश ने सबको सभी तरह की समानता के लिए यथासम्भव कानूनी प्रयास किए है। इसमें दो राय नहीं कि देश असमानता के खिलाफ जंग में कुछ जीत चुका है। लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आज भी असमानता के अवशेष हमारी मानसिकता में भरे पड़े है। प्रमुख बात यह है कि आर्थिक असमानता ही अन्य असमानताओं की प्रमुख वजह बनती है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से कमजोर होकर पिछड़ेपन का शिकार बनता है। आर्थिक असमानता की वजह से आम लोगों के जीवनस्तर में कमी के साथ ही कई और समस्याएं भी जन्म लेती है जैसे तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर कुंठा को जन्म देती है। समाज के आर्थिक रूप से निचले स्तर पर आजीविका के लिए संघर्षरत किसी व्यक्ति के लिए नैतिकता और ईमानदारी अपना मूल्य खो देती है। यानि इससे सामाजिक असमानता भी जन्म लेती है जो टकराव का कारण बनती है।ध्यान देना होगा कि चंद हाथों में सिमटी समृद्धि की वजह से देश का एक बड़ा वंचित तबका अमानवीयता से शून्य अपसंस्कृति का शिकार हो रहा है।

अमानवीय और अपसंस्कृति से अर्थ है कि असमानता से पीड़ित व्यक्ति अपराध, अनैतिकता,अवसाद आदि का शिकार हो जाता है। वह समाज में अमानवीय कृत्य का काम करने लगता है। एक राष्ट्र में उच्च और निम्न स्तर के लोगों के दो भाग एक तरह से देश का आंतरिक आर्थिक विभाजन है। आज के वैश्वीकरण के दौर में विकास के पैमाने का यह एक काला सच है कि अधिकांश आर्थिक लाभ वैश्विक अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, तो साथ में गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारतीय अरबपतियों की सम्पत्ति प्रति दिन 2200 करोड़ रुपए बढ़ी। वहीं, देश की 77.4 फीसदी सम्पत्ति पर 10 फीसदी अमीर लोग काबिज है और साल 2018 में 18 नए अरबपति बने,इस तरह अब देश में अब कुल अरबपतियों की संख्या 119 हो गई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग 2004 से कर्जदार बने हुए है।

सामाजिक असमानता के कारण
सामाजिक असमानता के कारण पर विमर्श किया जा सकता है। लेकिन इस फासले को मिटाने के लिए अमीर व्यक्तियों द्वारा कर के उचित हिस्से का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और असमानता को कम करने के

लिए सरकारों को शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में निवेश करके पुनर्वितरण के लिए कराधान और खर्च का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक संगठनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्रमिकों के प्रति आर्थिक भेदभाव उनके उत्थान में बहुत बड़ी बाधा है।

दरअसल श्रमिक अन्य लोगों से अधिक श्रम का योगदान देता है लेकिन उसकी आय उसकी मेहनत के अनुपात में बहुत न्यून होती है। कुछ प्रश्न है जिसपर हमें विचार करना होगा। क्या सरकार या मौजूदा कानून असमानता को मिटा सकते है? अभी तक के प्रयास असमानता को खत्म करने में पूर्ण रूप से कामयाब क्यों नहीं हुए हैं? सभी प्रकार की असमानताओं यथा आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक और राजनीतिक असमानता के खात्मे के लिए धन, शिक्षा, जागरूकता, कानून का सहारा लिया जाता रहा है। कानून बने है। आर्थिक संबल मिला है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है इसके पीछे छिपे मूल कारण पर ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। लगभग सभी प्रकार की असमानता के मूल में कोई न कोई मनोवैज्ञानिक कारण होते है।

मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे मानसिकता में छोटा बड़ा,अच्छा बुरा, ऊंच नीच की सोच बसी हुई है। जिसे मानसिकता और नैतिकता के रूप में समझा का सकता है। अगर अब बात करें सामाजिक असमानता कि तो इसको लेकर किए गए प्रयास अपनी जगह सही रूप में होंगे। लेकिन गौर इस बात पर करना है कि समाज में उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का निर्माण किसी सरकार ने,किसी समाज की नीति या कानून ने नहीं किया है। लोगों के बीच ऊंच नीच का पैमाना किसी ने नियम बनाकर तय नहीं किया है। दरअसल लोगों की मानसिकता ही यह तय करती है कि अमुक उच्च है और अमुक नीचा है। जाति का पैमाना मानवीय सोच का नतीजा है।हम अपने निर्णय से भेद पैदा कर देते है। जैसे कोई इंजीनियर और मजदूर व्यक्ति आप पास बैठे है तो उनमें कोई एक उसे देखकर यह धारणा बना लेता है कि यह तो मेरे से नीचा है या ऊंचा है।

दोनों की बीच एक सोच की असमानता आ जाती है और दोनों का व्यवहार अलग अलग हो जाता है। जबकि दोनों इंसान एक ही है। भगवान ने दोनों को बराबर अंग दिए है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। सभी के साथ समान सोच रखनी होगी। चपरासी को भी अफसर की तरह सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए। हालांकि आर्थिक और सामाजिक समानता की अवधारणा का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे एक दिव्यांग और एक सामान्य व्यक्ति। अब इनमें प्राकृतिक असमानता है लेकिन लोग अपने नजरिए से इसे सामाजिक असमानता बना लेते है। दिव्यांग को नीचा और सामान्य आदमी को ऊंचा मान लिया जाता है। केवल सोच से। अब इस तरह की असमानता को क्या कोई सरकार या कानून रोक सकती है। जवाब होगा नहीं। क्योंकि यह भेद लोगों के अनैतिक आचरण या मानसिकता के कारण है। अब अगर चर्चा करें लैंगिक असमानता की तो इसके लिए कानून महिलाओं को नौकरी करने,कमाने, वेतन की समानता देता है। लेकिन आज भी भिन्न रूप में असमानता है। जैसे आदमी मानसिक रूप से अपने आप को समाज का विशेषाधिकारी मानता है और महिलाओं को कमजोर। अगर महिला पायलट भी बन जाती है तब भी पुरुष मानसिकता उसके काम में कमजोरियां ही ढूंढती है। महिलाओं को उपभोग की वस्तु मात्र समझना सड़ी हुई मानसिकता का परिचायक हैं।

महिला और आदमी में केवल शारीरिक बनावट में अंतर है। लेकिन पुरुष प्रधान सोच इसे कमजोर आंकती है। जरूरी है कि कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का समर्थन किया जाना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों के मध्य असमानताएं प्राकृतिक कदापि नहीं है क्योंकि ऐसा कोई जैविक कारण नहीं है जिन्हें असमानता का कारण माना जाए। आज के समय असमान वेतन महिला समानता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आर्थिक हिस्सेदारी और महिलाओं के लिए अवसरों के मामले में अब भी साठ फीसद लैंगिक गैर बराबरी है। इस मामले में विश्व आर्थिक फोरम की लैंगिक समानता अध्ययन 2015 की रिपोर्ट दर्शाती हैं कि 142 देशों की सूची में भारत 117 वे स्थान पर है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है। हमें सोच के दायरे को बदलना होगा। जिस दिन सोच बदल जाएगी उस दिन समाज बदल जाएगा। अब अगर राजनीतिक असमानता की बात करें तो इसके पीछे भी विशेषाधिकार वादी संस्कृति हावी है। एक राजनीतिक वर्ग अपने फायदे के लिए सब कुछ अपने लिए करना चाहता है। हर नागरिक को मतदान करने और चुनाव लडने का समान अधिकार ही राजनीतिक समानता है।

लेकिन कुछ राजनीतिक लोग राजनीति को अपनी बपौती मान लेते है। बाकी लोगों को वंचित इसलिए रखा जाता है ताकि उसके काम में हस्तक्षेप न हो। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल अटकने का कारण यही है कि इससे स्थापित जन प्रतिनिधियों का स्थान खाली हो जाएगा। हालांकि ऐसी असमानताओं को कठोर कानून या नियमों से काफी हद तक बदला जा सकता है। मूल बात यही है कि इन सब असमानताओं को दूर करने लिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा में रखना होगा। हमें सकारात्मक सोच के साथ सोशल मीडिया,प्रिंट मीडिया और टीवी के माध्यम से लोगों की सोच सकारात्मक करने वाले प्रोग्राम करने होंगे तथा नुक्कड़ नाटक,भाषण और सार्वजनिक स्थानों पर समाज में सोच में बदलाव के लिए कार्यक्रम करने होंगे।

नीतिगत समाधान

बढ़ती आर्थिक असमानता और उससे पैदा हो रही गरीबी को मिटाने के लिए भारत के चुनाव में इस समय जो बहस चल रही है, वह मुख्यतः नीतियों से सम्बंधित है, जिनको आने वाली संभावित सरकारें लागू करने का वादा कर रही हैं। यहां नीतिगत फैसले का पहले मुख्य मतलब यह है कि आने वाली सरकार धन और संपदा को खर्च करने में अमीर लोगों के बजाय गरीबों, वंचितों और असहायों को वरीयता देगी। इन तबकों के लिए सरकारें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, भोजन, आवास, रोजगार आदि के जरिए खर्च करती हैं। इसके अलावा सरकारें कृषि, खाद, पानी, बिजली आदि पर सब्सिडी देकर भी इन्हें राहत देती हैं।ऐसी सभी योजनओं को चलाने के लिए सरकारों को धन की जरूरत होती है, जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती हैं, लोन लेती हैं, या फिर देश की कोई धन–सम्पदा बेचती हैं। आजकल सरकारें सूचना और तकनीकी क्रांति की वजह से पैदा हुए संसाधन जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह को बेचकर भी काफी संसाधन जुटा लेती हैं। चूंकि पिछले तीन दशक से सरकार की नीतियों की वजह से देश में एक सुपर अमीर वर्ग पैदा हो गया, इसलिए सरकार उन पर कुछ ज्यादा टैक्स लगा सकती है। इस सुपर अमीर वर्ग को टॉप 10 प्रतिशत या फिर टॉप का एक प्रतिशत भी कहा जा रहा है। अगर कोई सरकार गरीबों, वंचितों और असहायों के लिए बनी सेवाओं में कटौती करती है, तो इसका मतलब साफ होता है कि वह अपने खर्चों में कटौती कर रही है. ऐसे समय में यह देखना जरूरी हो जाता है कि कटौती से सरकार जो पैसा बचा रही है, वो किसे दे रही है? ज्यादातर समय ऐसा देखा जाता है कि जब सरकारें अपनी सेवाओं में कटौती करती हैं तो वह अमीर लोगों के हित में होता है। इसलिए सरकारों की ऐसी नीतियां तेजी से असमानता बढ़ाती है.।अगर इन सेवाओं पर कोई सरकार अपना खर्च बढ़ाने का वादा करती है तो उसका साफ मतलब होता है कि वह असमानता को कम करने जा रही है. असमानता के इस तरह के समाधान को नीतिगत समाधान कहा जाता है. आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ती असमानता का नीतिगत समाधान जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है. इसके लिए हमें सैद्धांतिक समाधान की तरफ देखना होगा।

सैद्धांतिक हल

आधुनिक लोकतंत्र में संसाधन, सेवाएं, अवसरों का वितरण कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिससे समतामूलक समाज का निर्माण हो सके. ऐसे में जब दुनियाभर में असमानता बढ़ रही है तो उन सैद्धांतिक समाधानों पर शोध होना शुरू हो गया है, जिनको आधुनिक लोकतंत्र ने धन, संपदा, सेवा और अवसर के बंटवारे के लिए अपनाया है। ऐसे समाधानों में सबसे प्रमुख है 'अवसर की समानता की अवधारणा' जिसको आधुनिक लोकतंत्र की नींव समझा जाता है। जब असमानता बढ़ रही है तो यह कहा जा रहा है कि दरअसल यह समान अवसर की अवधारणा की असफलता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे न्यूनतम आय की न्याय योजना बनाने में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, ने अपनी किताब 'कैपिटल इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी' में फ्रांस और अमेरिका के बीच तुलनात्मक अध्ययन करके यह साबित करने की कोशिश की है कि यह अवधारणा सभी देशों में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है. उनका सुझाव है

कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए पुनर्वितरण के सिद्धान्त की तरफ वापस जाना चाहिए।

विदित हो कि भारत में संविधान निर्माण के समय इस बात पर काफी मंथन हुआ था कि क्या समान अवसर की अवधारणा को ही आने वाली सरकारों के लिए नीति निर्धारण का सबसे कारगर हथियार बनाया जाये। तब भी हमारे संविधान सभा के कुछ सदस्य खासकर समाजवादियों ने इस सिद्धांत की प्रभावशीलता पर आशंका जताते हुए आपत्ति जताई थी, जिसके बाद संविधान में अनुच्छेद–16 में अवसर की समानता को रखने के साथ–साथ विशेष अवसर का सिद्धांत भी जोड़ा गया था।

अब जब असमानता बढ़ रही है तो विशेष अवसर का सिद्धांत जिसे भारत में आरक्षण कहा जाता है, को और मजबूत करने की जरूरत आ गयी है, जिस पर हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा हमला हुआ है। विशेष अवसर के सिद्धांत को न्यायपालिका में भी सख्ती से लागू कराए जाने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका के निर्णय भी असमानता बढ़ाने में काफी अहम भूमिका अदा करते हैं. कार्पोरेट घरानों से जुड़े आर्थिक मामलों में न्यायपालिका के निर्णय देश में आर्थिक असमानता बढ़ाने और घटाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में असमानता को मिटाने के लिए लोगों की सोच में बदलाव के लिए जागरूकता के कार्य किए जाने चाहिए, न की धन खर्च करके ऐसी संस्थाओं को पालने पोषने का ही काम हो जो असमानता मिटाने के दावे करके अपना धंधा चलाती हो। व्यापक स्तर पर असमानता के सभी पहलुओं पर विमर्श किया जाना चाहिए।इसके उन्मूलन के प्रयास पाठयक्रम के माध्यम से होने चाहिए। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक कहीं न कहीं ऊंच नींच का भाव दिमाग में भरा रहेगा। कानून अपनी जगह काम कर रहा है।लेकिन केवल कानून के बल पर इस विभेद को पाटना आसान नहीं होगा।आजादी के दशकों बाद भी समाज में विभिन्न विषमता का जमे रहना या पैदा होना बहुत कुछ सोचने और शोध करने के लिए मजबूर करता है। इस पर मीडिया द्वारा भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।इस विभेद की जितनी परिचर्चा प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में होनी चाहिए उतनी नहीं है।यह भी चिंता का विषय है।

संदर्भ

1. आचार्य, अषोक (2008), 'इक्वलिटी', पॉलिटिकल थ्योरीः ऐन इंट्रोडक्षन, प्रियर्सन लौंगमैन, नयी दिल्ली।
2. किमलिका, विल (2009), 'समकालीन राजनीतिक दर्षन : एक परिचय, प्रियर्सन लौंगमैन, नयी दिल्ली।
3. सैनफर्ड, ए0 लैकॉफ (1964), 'इक्वलिटी इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, बीकन प्रेस, बोस्टन।
4. मार्क्स, कार्ल (1974), 'इकोनॉमिक एण्ड फिलोसोफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844' मॉस्को।